

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

तखनऊ: दिनांक:

04 मार्च,

2014

विषय - वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 372 /सी0आर0एफ0/द्वी आपदा/बाढ़/2013-14, दिनांक 21.10.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति के कार्यवृत्त दिनांक 25.06.2013 द्वारा अनुमोदित सिंचाई विभाग के कार्यों/परियोजनाओं की मरम्मत हेतु कुल धनराशि ₹0 14,87,35,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि ₹0 3,71,83,750/- (कुल रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख तिरासी हजार सात सौ पचास मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके नियंत्रण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	अधि0अग्नि0 अपर चम्ब, पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर के कार्य	मांगी गयी धनराशि (लाख ₹0 में)	प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि 25 प्रतिशत (लाख ₹0 में)
1	मुख्य नहर के किमी0 32.500 से 32.560 तक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई बायीं पटरी की मरम्मत का कार्य	13.99	3.4975
2	मुख्य नहर के किमी0 43.800 से 43.900 तक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई बायीं पटरी की मरम्मत का कार्य	12.99	3.2475
3	मुख्य नहर के किमी0 27.600 से 27.650 तक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई बायीं पटरी की मरम्मत का कार्य	13.99	3.4975
4	मुख्य नहर के किमी0 22.900 से 23.050 तक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई बायीं पटरी की मरम्मत का कार्य	11.99	2.9975
5	मुख्य नहर के किमी0 38.500 से 38.600 तक दायाँ बैंक पर वर्षा से हुए क्षतिग्रस्त पक्के कार्य एवं बैंक की मरम्मत का कार्य	14.97	3.7425

6	कालूवाला बाँया बंध अपस्ट्रीम पर बाढ़ के कारण हुए कटाव का मरम्मत का कार्य	34.85	8.7125
7	जहानपुर बंध पर बाढ़ के कारण हुए कटाव का मरम्मत का कार्य	33.95	8.4875
8	एल0पी0 बंध पर बाढ़ के कारण हुए कटाव का मरम्मत का कार्य	35.56	8.89
9	कालूवाला बाँया बंध डाउनस्ट्रीम पर बाढ़ के कारण हुए कटाव का मरम्मत का कार्य	35.33	8.8325
10	मुख्य नहर के किमी0 68.300 से 68.500 तक दायाँ बैंक पर वर्षा से हुए क्षतिग्रस्त पक्के कार्य एवं बैंक की मरम्मत का कार्य	24.98	6.245
11	जाटोवाला दाँयी पटरी के अपस्ट्रीम में बाढ़ से हुए कटाव की मरम्मत का कार्य	40.91	10.2275
12	जाटोवाला दाँयी पटरी के ग्राम अम्बेठटा ईस्माइलपुर व पतानपुरा में बाढ़ से हुए कटाव की मरम्मत का कार्य	40.27	10.0675
13	मुख्य के किलोमी 12.600 से 12.700 तक दायाँ बैंक पर वर्षा से हुए क्षतिग्रस्त पक्के कार्य एवं बैंक की मरम्मत का कार्य	15.34	3.835
14	रा0 कासिमपुर के किमी0 0.550 पर जलसेतु एवं गाईड बन्धों की मरम्मत का कार्य	25.00	6.25
15	रा0 कासिमपुर के किमी0 3.200 पर क्षतिग्रस्त बन्धों की मरम्मत का कार्य	13.00	3.25
16	रा0 कासिमपुर के किमी0 16.650 पर जलसेतु एवं राजबाहे के के सेक्शन की पुनर्स्थापना का कार्य	26.00	6.50
17	रा0 कासिमपुर के किमी0 1.425 पर क्षतिग्रस्त ड्रेनेज कासिंग की मरम्मत एवं राजबाहे की सुरक्षा का कार्य	24.60	6.15
18	एल0पी0 बन्ध के स्पर नं0-2 के अपस्ट्रीम पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	37.82	9.405
19	एल0पी0 बन्ध के स्पर नं0-1 के अपस्ट्रीम पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	31.59	7.8975
20	एल0पी0 बन्ध के स्पर नं0-2ए एवं 3 के मध्य पूर्व निर्मित दीवार के ऊपर से पानी बहने से हुए कटाव की मरम्मत एवं बोल्टर पिचिंग का कार्य	36.19	9.0475
21	एल0पी0 बन्ध के स्पर नं0-2ए एवं 2 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं उन्नीकरण का कार्य	27.19	6.7975
22	शाकुम्भरी बन्ध पर नृरादेव मन्दिर के पास क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत का कार्य	27.60	6.90
23	मोहन खोल नदी पर ग्राम मोहन की सुरक्षा बाढ़ सुरक्षा का कार्य	20.41	5.1025
24	सोलानी नदी पर ग्राम बादशाहपुर, सतपुरा, फाँड़पुर विलियो, अबुलखपुर, लुजनावर, जिवाला आदि अन्य की बाढ़ सुरक्षा का कार्य	29.60	7.40
25	पूर्वी यमुना नहर के किमी0 10.900 पर नौरोरा राव कासिंग रेगुलेटर पर क्षतिग्रस्त गाईड बन्ध व फलोर मरम्मत का कार्य	20.44	5.11
26	पूर्वी यमुना नहर के किमी0 13.400 पर रायपुर राव कासिंग रेगुलेटर पर क्षतिग्रस्त गाईड बन्ध व फलोर मरम्मत का कार्य	25.94	6.485
27	जाटोवाला बाँया बंध के किमी0 0.500 से 1.00 तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	28.04	7.01
28	मुख्य नहर के किमी0 14.100 से 16.00 तक दायाँ बैंक की क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत का कार्य	15.15	3.7875
29	मुख्य नहर के किमी0 17.00 से 19.200 तक दायाँ बैंक की क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत का कार्य	16.79	4.1975
30	रा0 गन्देवड के किमी0 2.500 से 3.800 तक की क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य	13.58	3.395
31	रा0 आलनपुर के किमी0 4.250 से 7.500 तक की क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य	12.41	3.1025
32	रा0 रेंडी के किमी0 0.200 से 0.320 तक दायाँ बैंक पर क्षतिग्रस्त पक्के कार्य एवं मरम्मत का कार्य	19.99	4.9975

33	मुख्य नहर के किमी0 50.800 पर क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य	14.91	3.7275
34	मुख्य नहर के किमी0 51.600 पर क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य	19.73	4.9325
35	मुख्य नहर के किमी0 57.955 पर स्थित रेडी कास रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम में क्षतिग्रस्त बन्धे कार्य की मरम्मत का कार्य	29.99	7.4975
36	मुख्य नहर के किमी0 46.250 पर छाये बैंक की क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य	19.79	4.9475
37	मुख्य नहर के किमी0 54.900 पर क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य	19.79	4.9475
38	मुख्य नहर के किमी0 62.350 पर स्थित इनलेट पर क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य	19.98	4.995
	योग	904.45	226.1125

क्र० सं०	अभि० अमि०, उत्तरी गंगा नहर, रुड़की के कार्य	माँगी गयी धनराशि (लाख ₹० में)	प्रथम किस्ता के रूप में आवंटित धनराशि 25 प्रतिशत (लाख ₹० में)
1	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के हैड से डाउनस्ट्रीम में दाहिने किनारे पर चैनल के क्षतिग्रस्त स्लोप टो एवं स्लोप की पिचिंग की पुनर्स्थापना का कार्य	38.00	9.50
2	जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित दाहिने एफलक्स बन्ध पर बने स्पर नं०-1 एवं इसके 25 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में बन्धों की पुनर्स्थापना का कार्य	39.44	9.86
3	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं०-4 की पुनर्स्थापना का कार्य	39.60	9.90
4	भीमगौड़ा बैराज के गेट नं० 6 से 11 के सामने डाउनस्ट्रीम में क्षतिग्रस्त एग्रेन में सी०सी० ब्लाक्स की पुनर्स्थापना का कार्य	38.56	9.64
5	जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित दाहिने एफलक्स बन्ध पर बने स्पर नं०-2 एवं इसके 25 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में बन्धों की पुनर्स्थापना का कार्य	38.60	9.65
6	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं०-1 की पुनर्स्थापना का कार्य	38.70	9.675
7	जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित दाहिने एफलक्स बन्ध पर बने स्पर नं०-3 एवं इसके 25 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में बन्धों की पुनर्स्थापना का कार्य	39.19	9.7975
8	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं०-2 की पुनर्स्थापना का कार्य	35.50	8.875
9	जनपद हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर के किमी० 2.200 पर स्थित सिल्ट इजेक्टर की टेलफाल एवं क्षतिग्रस्त भाग के सुरक्षात्मक कार्य की पुनर्स्थापना का कार्य	36.81	9.2025
10	जनपद हरिद्वार में रतनऊनदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण धनौरी लेबिल कासिंग के अपस्ट्रीम में रतनऊ नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्पर नं०-1 व 1 बी की पुनर्स्थापना का कार्य	49.94	12.485
11	जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित दाहिने एफलक्स बन्ध पर बने स्पर नं०-5 एवं इसके 25 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में बन्धों की पुनर्स्थापना का कार्य	37.84	9.46
12	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं०-3 की लॉचिंग एग्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य	38.00	9.50

13	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण कनखल स्पर के क्षतिग्रस्त लाविंग एप्रेन की अपस्ट्रीम साईड में एप्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य	39.80	9.95
14	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं०-5 की लाविंग एप्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य	39.92	9.90
15	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण पुरानी आपूर्ति धारा के हैड से डाउनस्ट्रीम में बायें किनारे पर चैनल के क्षतिग्रस्त स्लोप टो एवं स्लोप की पिथिंग की पुनर्स्थापना का कार्य	33.00	8.25
योग		582.90	145.725

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों, मुख्य रूप से औचित्य प्रमाण पत्र सम्बन्धी बिन्दुओं पर आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अद्योत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा एक सप्ताह के अन्दर औचित्य प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय किश्त की मांग करते समय आपके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर लिया गया है तथा कार्यों का भौतिक सत्यापन टास्क फोर्स द्वारा कराया गया तथा गुणवत्ता मानक स्तर की पायी गयी है।

ए

4- उक्त धनराशि का व्यव शाओपओ-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यव सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियाँ वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यव का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यव विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-राओ-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यूओपीओ.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यूओओ-2/1-11-2013-राओ-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

✓

9- उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(किशन सिंह अदोरिया)

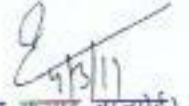
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 177 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सहारनपुर ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार बाजपेई)

उप सचिव।